रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 1974/अग्रहायण 13, 1896

No. 293] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 1974/AGRAHAYANA 13, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Secretariat Library Gazette of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th December 1974

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under West German Commodity Credit of DM* 100 *million for* 1974-75.

No. 183-ITC(PN)/74.—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under West German Commodity Credit of DM 100 million for 1974-75 as given in Appendix to this Public Notice are notified, for information.

APPENDIX

CONDITIONS FOR LICENSING FOR IMPORTS UNDER THE WEST GERMAN COMMODITY CREDIT OF DM 100 MILLION FOR 1974-75

Section 1: *General Conditions*

1 (ii). These conditions will be uniformly applicable to all importers in the private and public sectors including State Governments, State Electricity Baords, Hindustan Steel Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, etc. for imports under the West German Commodity Credit of DM 100 million for 1974-75.

1 (ii). The licence will bear the superscription "West German Commodity Credit of DM 100 million for 1974-75." The licence Code for the first and second suffix will be "S/GN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

1 (iii). Import licences issued on or after 1st April, 1974, only will be eligible for financing under this credit.

1 (iv). No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's Commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

1 (v). The goods and related services to be procured under this import licence can be imported from the Federal Republic of Germany including the Land Berlin or any other country. The overseas supplier, is therefore free to procure material, etc. from a third country, if found necessary, for the execution of the contract.

1 (vi). The minimum value for which an import licence can issue under this Credit is Rs. 50,000. For the purpose of arriving at the value in foreign exchange into which import commitments can be entered into by the licensee against this import licence the value of the import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the Chief Controller of Imports & Exports.

1 (vii). The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of 12 months for completing the shipments and payments. Firm orders meaning thereby purchase order placed by the Indian licensee on the foreign supplier duly supported by confirmation from the letter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier must be finalised within a period of four months from the date of issue of the licence (*vide* para 1(viii) *infra*].

1 (viii). If firm orders, as explained in para 1(vii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 2 months. If, hwever, extension is sought beyond 6 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi. Only on production by the licensee of letter of the CCI&E sanctioning such extension, will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letters of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc.

1 (ix). It will be in the interest of the licensee to ensure that firm order is completed within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licenseee should, of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering.

1 (x). In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the initial validity period of the licence, it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the same manner as explained in para 1(viii) above before placing orders against such unordered balance value of the licence.

Section 2: *Special points to be kept in view while contracting*

2 (i). Subject to condition 2(x) *infra* the import licence should be utilised for import of goods the delivery period of which does not exceed 10 months from the date of placing firm orders.

2 (ii) Supply orders should be placed on CIF of C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should invariably be placed on C&F basis and insurance should be taken with an Indian insurance company [*vide* in *foreign currency*.

2 (iii). The contract price should invariably be expressed in the currency of the country in which the foreign supplier is situated. The contract price should be firm and final and no provision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shown in the contract as an item of cost payable in Indian rupees in India and the net amount payable to the foreign supplier should therefore be shown exclusive of such Indian Agent's commission.

2 (iv) Whenever insurance is taken out on an Indian insurance company, the premium should be paid in India in Indian Rupees.

2 (v). As the contracts are required to be placed either on C&F or CIF basis in terms of para 2(ii) above, the foreign suppliers should be made responsible to pay the freight charges in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian Rupees.

2 (vi). Payments to foreign suppliers against the licence will be made by means of a Special letter of credit, as explained in Section III below. No remittance of foreign exchange will be permitted against this import licence for this purpose.

2 (vii). It should be clearly understood that alongwith f.o.b. cost the freight charges are also eligible for coverage under the West German Credit provided the freight is paid in *foreign currency*.

2 (viii). As regards transportation of goods purchased against the import licence, the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free to choose the carriers.

2. (ix). In exceptional cases where public sector importers desire to place orders on f.o.b. basis, they should obtain the prior approval of the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance for such placement of orders on FOB basis and such approval should be mentioned in the application for issue of letter of authority to the Controller of Aid Accounts & Audit. When permitted to place orders on FOB basis, the public sector projects should make arrangements for shipment of cargoes through the Shipping Co-ordination Committee of the Ministry of Shipping and Transport, or their authorised agents.

2. (x). Payments to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 31st October, 1975. A suitable provision should therefore be made in the purchase orders/contracts to ensure completion of shipments and payments by 31st October, 1975. In case it is anticipated that payments cannot be completed by that date, a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts & Audit), Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi by 31st August, 1975. Such requests will be considered on merits.

Section III.—Payment to the foreign supplier—'Special' Letter of Credit Procedure

3 (i). Within a fortnight of placing firm orders, (as defined in para 1(vii) above) the licensee should make a request to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Prliament Street, New Delhi-1, for the issue of a Letter of Authority in the form prescribed in Appendix I. The request should specify the name of the Bank to be chosen, out of the following five designated West German Banks, through whom the payment is required to be arranged:

(i) The Bayerische Vereinsbank, Munich.

(ii) The Commerzbank A G. Frankfurt.

(iii) The Deutsche Bank A. G, Postfach 101440 D-2000 Hamburg.

(iv) The Dresdner Bank A. G., Gallusanlage 7-8, 6, Frankfurt/Main I.

(v) The Berliner Handles Gasellschaft Frankfurter Bank Frankfurt-Main.

3 (ii). In the case of private sector undertakings the request mentioned in para 3(i) above should be accompanied by a Bank Guarantee from a Scheduled Bank in India authorised to deal in foreign exchange (in the prescribed form in Annexure-II), duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act, 1899.

3 (iii). No Bank Guarantee is required in respect of public sector importers.

3 (iv). Failure to make the request for issue of letter of authority within a fortnight from the date of placement of firm orders may be deemed to be a violation of the Import Control Regulations.

3 (v). *Bank Guarantee-amount for which it should be executed.*—The Bank guarantee, where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign currency for which the Letter of Authority is sought *plus* interest and other charges as mentioned in Annexure-II. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974. This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the importer. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the foreign currency cost of imports made under the licence, the rupee equivalent will

have to be worked out at the composite rate for the DM amounts spent by the German Bank in arranging payments to the foreign supplier i.e. either in DM if the overseas supplier is located in West Germany including Land Berlin or the DM spent for arranging payment in the curreny of the country in which the overseas supplier is located, in terms of Public No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972 until further notice. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

3 (vi). When the request for the Issue of Letter of Authority (supported by Bank Guarantee where nccessary) contemplated in para 3(i) above, is found to be in order, the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, will issue a Letter of Authority to the German Bank concerned (as in Annexure-IV) authorising payment upto the specified amount to the overseas suppliers on the basis of a special letter of credit to be opened by the importer's bank in India. A copy of such authorisation will be sent to the Indian licensee. The original Letter of Authority alongwith a copy thereof will be sent to the concerned Indian Bank authorised to open the letter of credit, asking it to transmit the original Letter of Authority to the German Bank concerned along with the Letter of Credit opened by it. (Such a direction will be given in the form attached as Annexure-III). No bank in India should provide facilties to the licensee for establishing a letter of Credit unless a Letter of Authority has been received by such Bank directly from the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

3. (vii) *The Special Letter of Credit on the German Bank should be opened within thirty days* from the date of issue of authorisation under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

3 (vii). The payments to the foreign suppliers will be made by the German Bank concerned on collection of documents and statements even where foreign supplier is situated in a country other than the Federal Republic of Germany, the negotiation and payment of documents would be done by the German bank concerned. The German bank concerned will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities. In the case of supplies by countries other than Federal Republic of Germany, the German Bank will obtain reimbursement from the West German authorities of the amounts in DM spent by it to make the payments to the overseas suppliers in the currency of the country in which they are located.

3 (ix). Incidental bank charges incurred by the German banks both for payment in the Federal Republic of Germany as well as for arranging the payment in third country will be remitted by the concerned bank in India to the German bank through the normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV.—Responsibility for Rupee Deposits into Government Account

4 (i). The original shipping documents should invariably be forwarded by the German bank concerned both in the case of imports from West Germany including Land Berlin and other countries to be concerned bank in India we should, within 10 days of receipt of these documents, release these negotiable set of documents to the licensee *but only after* ensuring that the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier of the DM amount spent in arranging the payment to the supplier in third country by the German bank concerned alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 6 per cent per annum for the period from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of the rupee equivalent into the Government Account. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the foreign currency payments made to the foreign supplier will be the composite rate of exchange as laid down in CCI&E's Public Notice Nos. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972, as amended by the Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972, or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. *It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers.* The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers.

4 (ii). The deposits envisaged in para 4(i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or at the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not feasible, the amounts may be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi—(Drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC

(PN)/68 dated 24th October, 1968 and Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974. The head of account to be credited is: 'K-Deposits and advances (b)—Deposits not bearing interest—843—Civil Deposits—Deposits for Purchases etc. from abroad—Purchases under DM 100 million West German Commodity Credit for 1974-75 (AL-965)'.

4 (iii). In the Treasury Challans, the following particulars should invariably be furnished:—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of foreign currency in respect of which deposits are to be made together with the rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign suppliers.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the foreign suppliers upto the date of deposit of rupee equivalents into Government account).

4 (iv). One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank, which has issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi-1 alongwith a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated German Bank.

4 (v). It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

4 (vi). After the imports under a licence are completed and the importers/bankers have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-1 in the proforma prescribed as Annexure-V to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

Section V.—Miscellaneous Provisions

5 (i). *Credit facilities from foreign supplier.*—Credit facilities offered by the foreign suppliers can be availed of by the importers, with the prior approval of the Controller of Aid Accounts and Audit (CAAA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs provided however that

(a) The foreign supplier is willing to ship at his own risk the goods without insisting upon prior establishment of a letter of credit.

(b) The Credit facility *is not extended beyond* 90 *days from the date of shipment and that all payments are completed before* 31*st October*, 1975.

(c) No interest charges, direct or indirect, are payable by the importer for the credit extended and

(d) The importer should clearly indicate in the application to the C.A.A.A. the following details:—

(i) Value of I/L.

(ii) Value of L/As already obtained, if any.

(iii) Value of L/Cs opened against each L/A.

(iv) Value of credit facility asked for.

(v) Certificate that the value of credit facility asked for is available in the licence against which LAs have not been issued/against LAs issued sufficient amount is available against which no further L/Cs will be opened or shipments will be made.

The importers who satisfy the above conditions, will be informed, on request, of the detailed procedure to be followed by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi-1.

5 (ii). *Notifying suppliers of Special Condition.*—The licensee should apprise the foreign supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transactions.

5 (iii). *Disputes.*—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the licensee and the suppliers.

5 (iv). *Compliance with Instructions.*—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the DM 100 million Commodity Credit Agreement with the KFW Authorities.

5(v). *Breach or violations.*—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Export (Control) Act.

5(vi). *List of Annexures*

Annexure I—Form of Request for Letter of Credit Authorisation.

Annexure II—Form of Guarantee Bond.

Annexure III—Form of Letter of Instructions forwarding the letter of authority.

Annexure IV—Letter of Authority Form.

Annexure V—Form of Report of rupee deposits cum Application for release of Bank Guarantee.

ANNEXURE I

Request for issue of the Letter of Authority

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

SUBJECT.—*Import of* ———— *from under West German Commodity Credit for* 1974-75 (*DM* 100 *million Credit*).

Sir,

In connection with the import of ———— from ————under the above mentioned West German Commodity Credit, we furnish the following particulars to enable you to issue the authority for opening a letter of credit through———— on the Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank A.G., Frankfurt or Deutsche Bank A.G., Humburg or the Dresdner Bank A.G., Frankfurt, Berliners Handels Frankfurter Bank Frankfurt Main.

(a) Name and Address of the Importer.

(b) Number, date and value of licence (Photostat copy of the import licence may be attached).

(c) Value in foreign currency and date of the order placed and accepted by the suppliers, indicating payment terms viz. (c.i.f. of C&F) (In no case, letter of authority should be applied for f.o.b. value only).

(d) A certificate that firm orders (with suppliers order confirmation) have been placed within a period of 4 months from the date of import licence. The date of placement of orders against each supplier and the date of their acceptance should be indicated separately in the certificate. If orders have been placed after the stipulated period of 4 months, a copy of CCI&E's letter/Ministry of Finance's letter authorising extension of time for placing firm orders as the case may be, should be attached.

(e) Short description of the goods to be imported.

(f) Foreign currency amount for which letter of authority is required.

(g) Name and address of the suppliers and the foreign currency amount payable for such supplies (to be expressed in the currency of the country in which the Supplier is located and the DM equivalent thereof).

(h) In case the supplier happens to be located in a country other than West Germany, the name of the supplier's bank to whom the amount is to be remitted by the German designated bank should be indicated.

(i) Expected date of completion of deliveries.

(j) A schedule showing probable dates on which payments under the contract will fall due.

The Letter of Credit will be opened through ——————————

(Name and address of the Indian scheduled bank, authorised to deal in foreign exchange)

and Bank Guarantee No. ———————— Dated ———————— for Rs.———————furnished by the above mentioned bank and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamps Act, 1899 is attached.

Yours faithfully

(Licensee)

Copy forwarded to —————————————— Bank for information.

ANNEXURE II

GUARANTEE BOND

To

The President of India

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in (mention the appropriate amount in foreign currency) for the import of———————— by ——————————(hereinafter called the 'importer') against the licence No. ———— ———— dated ———————— issued under the terms and conditions of West German Commodity Credit for 1974-75 and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement, We ———————— Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursemnts made by the ——— ————————

(Name of the German Bank)

nominated by the importer converted at the prevailing rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Accounts, as indicated by Government of India under the said credit together with interest thereon at the rate of 6 per cent, per annum, from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. The negotiable set of import documents received from the German Bank will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the ———————— Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. ———————— or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereupon at the rate of six per cent per annum, from the date of payment to the foreign supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us ———————— Bank shall be final and binding on us———————— Bank.

3. We ———————— Bank further agree that in case of increase in the value of imports or decrease in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We———————Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the ———————— Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and the———— Bank shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the ———————Bank from its such liability.

6. We———————— Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.————(plus interest and other charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the ————day of (month) ————197 . Unless claims under the guarantee are made in writing within 6 months of this date and unless a suit dr action to enforce these claims is commended within another six months thereafter *i.e.* upto ————————, all Government rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the ————day of ————

for————————Bank.

Accepted for and on behalf of the President
of India, by Shri (Name and Designation)

Signature. Signature.

This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Authority is required to be kept valid.

NOTE.—The value of the stamped paper in which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

To

SUBJECT:—*Import under German Commodity Credit—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit Import Licence No..... dated.....*

Dear Sirs,

With reference letter No. ———— dated the ————from the ———— in which they have requested permission for opening a letter of credit through your Bank under the German Commodity Credit for 1974-75, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority No. ———— dated the ———— (wlth one spare copy) authorising them to arrange payment upto ————————Authority should be sent by you to the ————————alongwith the Letter of Credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding ———————— within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Department. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days, after the final date for shipment as stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid Import Licence.

3. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the amounts in Deutsche Mark spent by (name of the German Bank) to effect payments in D.M. to the suppliers in the Federal Republic of Germany including Land Berlin or in other foreign currency to the foreign supplier in other countries in terms of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of documents from the ————————. The rupee equivalents of the amount disbursed to the foreign suppliers will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-72 until further notice. *This rate is subject to revision which will be notified from time to time by Public Notices.* Interest at the rate of 6 per cent p.a. for the period between the date of payment to the suppliers and the date on which the rupee equivalents are deposited is also required to be deposited into Government account. *It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts, before the import documents are handed over to the importer.*

4. These amounts should be deposited in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or at the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not feasible the amounts may be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/74, dated 24th October, 1968 and Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31st May, 1974. The Head of Account to be credited is: "K-Deposits and advances—(b)—Deposits not bearing interest-843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc. from abroad—Purchases under DM 100 million West German Commodity Credit for 1974-75 (AL-965)."

5. One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi should be sent by you to the address given below, alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the nominating German Bank:

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.

In case where the rupee equipments are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

Yours faithfully,
Accounts Officer.

Copy forwarded to M/s. ————————————with a copy of the Letter of Authority No.————————for information, with reference to their letter quoted above. In case the Foreign Suppliers anticipate any difficulty in complying with the transport of goods, the services of M/s. Schenker and Company, Hamburg, West Germany, may be availed of.

Accounts Officer.

ANNEXURE IV

Letter of Authority No.————————

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

Department of Economic Affairs

New Delhi, the 197

To

(Name and Address of the German Bank)

SUBJECT.—*Procedure for payments to overseas suppliers through the Letter of Credit Cover Deposit Account with you under Commodity Credit for* 1974-75 *(AL-965) from the Feneral Republic of Germany.*

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, agreed upon through letter Nos. ———————— dated the ———————— addressed to your Bank

by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London we hereby authorise you to spend such an amount in DM as may be found necessary to pay (the amount in foreign currency concerned) to (name of the supplier)————————(applicable in the case of third country suppliers) through their bankers————————or to pay an amount of DM———————— to ———————— (applicable in the case of West German Supplier), as the case may be, under the letter of credit to be opened by ———————— ———————— for covering the import of ———————— —— against contract entered into by ————————————.

2. After each payment, the shipping and other documents (Negotiable) may be forwarded direct to ———————— and a payment advise alongwith one set of documents (non-negotiable) sent to the undersigned for information.

3. Your banking charges under the above letter of credit will be settled directly with you by the ———————— by remittance from India.

4. This authority will remain valid upto ————, 197 .

Yours faithfully,
Accounts Officer.

ANNEXURE V

Proforma

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the bank Guarantee was furnished.

2. The import licence number and date and value.

3. Number, date and amount of the guarantee furnished.

4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance:
 (a) Number and date of the Letter of Authority.
 (b) Amount of the Letter of Authority (In foreign currency).

5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made.
 (a) Name of supplier(s).
 (b) Amount in foreign currency actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.
 (c) Date of payment to the supplier by the nominated German Bank.
 (d) Amount of rupee deposit:—
 (i) Rupee equivalent of foreign currency amount in D.M. paid to the supplier 1 unit of foreign currency=Rs.
 (ii) Interest paid.
 (iii) Period for which the interest has been calculated from to
 (iv) Total deposit made.
 (v) Date and place of deposit.
 (vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.
 (vii) If the rupee deposit mentioned in (d) (iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date, and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.

6. Amount utilised and balance unutilised (foreign currency) against each Letter of Authority.

7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised signatures)

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1974

विषय.—1974-75 के लिए पश्चिम जर्मन पण्य क्रेडिट डीएम 100 मिलियन के अन्तर्गत वित्त युक्त किए गए आयात लाइसेंसों को जारी करने के सम्बन्ध में शासित होने वाली शर्तें।

सं० 183-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74—. 1974-75 के लिए पश्चिम जर्मन पण्य क्रेडिट डी एम 100 मिलियन के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों को जारी करने के सम्बन्ध में शासित होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है

परिशिष्ट

1974-75 के लिए पश्चिम जर्मन पण्यवस्तु क्रेडिट डीएम 100 मिलियन के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित शर्तें

खंड 1: समान्य शर्तें :

1(1). ये शर्तें 1974-75 के लिए पश्चिम जर्मन पण्यवस्तु क्रेडिट डीएम 100 मिलियन के अन्तर्गत राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्ड, हिन्दुस्तान इस्पात लि०, भारत भारी विद्युत लि० आदि सहित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी आयातकों के लिए एक समान लागू होंगी।

1(2). लाइसेंस पर एक अभिलेख "1974-75 के लिए पश्चिम जर्मन पण्यवस्तु क्रेडिट डीएम 100 मिलियन" होगा। लाइसेंस कोड में प्रथम एवं द्वितीय प्रत्यय "एस/जी एन" होंगे। ये मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा आयात लाइसेंस के साथ भेजे जाने वाले पत्र में भी दोहराए जाएगें

1(3). 1 अप्रैल, 1974 को या इसके बाद जारी किए गए आयात लाइसेंस ही इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र होंगे।

1(4). बैंक प्रभार जो सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं उनके अतिरिक्त आयात लाइसेंस के मद्दे किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्त्ता के कमीशन के प्रति किसी प्रकार का भुगतान भारत में अभिकर्ताओं को भारतीय रुपए में ही किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस का एक भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस के लिए लिए जाएंगे।

1(5). इस आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्राप्त किए जाने वाले माल तथा सम्बद्ध सेवाएं लर्ड बर्लिन अथवा किसी भी अन्य देश सहित जर्मनी संघीय गणराज्य से आयात की जा सकती है। इसलिए समुद्री संभरक को स्वतंत्रता है कि वह संविदा निष्पादन के लिए यदि आवश्यक समझे तो किसी तृतीय देश से माल आदि प्राप्त कर सकता है।

1(6). इस क्रेडिट के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी किय जा सकता है, वह 50,000/- रु० है। विदेशी मुद्रा में मूल्य की गणना करने के प्रयोजनार्थ जिसमें

लाइसेंसधारी द्वारा इस लाइसेंस के मद्दे आयात वचनबद्धता की जा सकती है, वह आयात लाइसेंस के मूल्य की गणना सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अधीन राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित और वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 78-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 6 जून, 1974 की कंडिका 2 में संकेतित अनुसार दरों पर की जानी चाहिए ।

1(7). पोतलदानों और भुगतानों को पूरा करने के लिये आयात लाइसेंस लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर प्रारम्भिक 12 मास की वैधता अवधि के लिये जारी किये जायेंगे। पक्के आदेश अर्थात् भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरकों के लिये उनके द्वारा विधिवत् पुष्टिकरण के साथ दिये गये आदेश भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से 4 मास की अवधि के भीतर अवश्य ही पूर्ण हो जाने चाहिये। [देखें नीचे कंडिका 1(8)]

1(8). यदि उपयुक्त कंडिका 1 (7) में उल्लिखित पक्के आदेश 4 मास की सीमा अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किये जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिये कि वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी० सी० आई० एंड ई०) या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को जैसा भी मामला हो, आदेश देने के समय में वृद्धि के सुझाव का प्रस्तुत करे और इसके साथ औचित्य और विवरण भेजे कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश देने का कार्य क्यों नहीं पूर्ण किया जा सका। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिये ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा और वे अधिक से अधिक 2 मास तक की और अवधि वृद्धि की स्वीकृति दे सकते हैं। लेकिन, यदि आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 6 मास से परे वृद्धि की मांग की जाती है तो निरपवाद रूप से ऐसे आवेदन लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 शाखा), वित्तमंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे। लाइसेंसधारी द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के इस प्रकार की दी गई वृद्धि अनुमय पत्र के प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारन्टी की, साख्यपत्र खोलने के लिये प्राधिकारी पत्रों की समतुल्य रुपये के निक्षेप आदि की स्वीकृति की सुविधा की अनुमति देंगे ।

1(9). यह लाईसेंसधारी के अपने हित के लिये होगा कि वह इसका सुनिश्चित करे कि आदेश देने का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर दिया जाता है। उन मामलों में जहां ऐसा नहीं किया जा सकता है तो लाइसेंसधारी को चाहिये कि वह स्वंय आदेश देने के लिये अवधि वृद्धि के लिये लाइसेंस प्राधिकारी के साथ सम्पर्क स्थापित करे ।

1(10). ऐसे मामलों में जहां लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिये पक्के आदेश नहीं दिये गये हैं तो लाइसेंसधारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे लाइसेंस के शेष मूल्य के लिये न दिये गये आदेश के मद्दे आदेश देने से पूर्व पारा 1(8) में यथा कथित विधि से लाइसेंस प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त करे ।

खंड 2 : संविदा करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1). नीचे पारा 2(10) के अधीन, आयात लाईसेंस का उस आयात किए गए माल के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिसकी सुपुर्दगी अवधि पक्के आदेशों के जारी होने की तारीख से 10 मास से अधिक नहीं होती है ।

2(2). निजी क्षेत्र आयातकों के मामले में संभरण आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत एवं भाड़ा के आधार पर दिये जाने चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में आदेश निरपवाद रूप से लागत एंव भाड़ा के आधार पर ही दिये जाने चाहिये। और बीमा कम्पनी के साथ बीमा करा लेना चाहिये [नीचे पारा 2 (4) देखें।]

2(3). संविदा मूल्य को निरपवाद रूप से उस देश की मुद्रा में अभिव्यक्त किया जाना चाहिये जिसमें विदेशी संभरक स्थित है। संविदा मूल्य पक्का तथा अन्तिम होना चाहिये और इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी के लिये किसी भी व्यवस्था के लिये अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेशी संभरक के भारतीय अभिकर्ता को यदि किसी प्रकार का कमीशन अदा किया जाता है तो इसे संविदा में स्पष्टतया भारत में भारतीय रूपये में अदा की जाने वाली कीमत के मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिये और इसलिये विदेशी संभरक को अदा की जाने वाली वास्तविक धनराशि को ऐसे भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के अतिरिक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिये।

2(4). जब कभी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ बीमा किया जाता है तो किश्त भारत में भारतीय रूपये में ही अदा की जानी चाहिये।

2(5). चूंकि उपर्युक्त पारा 2 (2) की शर्तों के अनुसार संविदाएं या तो लागत एवं भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा के आधार पर करनी अपेक्षित हैं, विदेशी संभरकों को ही विदेशी मुद्रा में भाड़ा प्रभारों को अदा करने के लिये जिम्मेदार ठहराना चाहिये और उन स्थितियों में भी जबकि भारतीय जहाज प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में भाड़ा प्रभार भारतीय रुपये में अदा नहीं किये जाने चाहिये।

2(6). लाइसेंस के मद्दे विदेशी संभरकों को भुगतान, नीचे खंड 3 में बताए गये विशेष साख पत्र के माध्यम से ही किये जाएंगे। इस प्रयोजन के लिये प्रस्तुत आयात लाइसेंस के मद्दे किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

2(7). इसे भलीभांति समझ लेना चाहिये कि जहाज पर निशुल्क कीमत के साथ-साथ पश्चिम जर्मन क्रेडिट के अन्तर्गत भाड़ा प्रभार भी शामिल करने के लिये पात्र है बशर्ते कि भाड़ा विदेशी मुद्रा में अदा किया जाना है।

2(8). जहां तक आयात लाइसेंस के मद्दे खरीद किये गये माल के परिवहन का संबंध है वह पार्टी जो क्रय संविदा के अन्तर्गत माल के लदान की व्यवस्था करने के लिये जिम्मेदार है उसे वाहक को चुनने की स्वतन्त्रता होगी।

2(9) विशेष मामलों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के आयातक जहाज पर निशुल्क मूल्य के आधार पर आदेश देने के लिये इच्छुक है, उन्हें चाहिये कि वे जहाज पर निशुल्क मूल्य के आधार पर ऐसे आदेशों को देने के लिये आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 शाखा) वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें और ऐसे अनुमोदन का उल्लेख सहायता लेखा एंव लेखा परीक्षा नियंत्रक को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये दिये जाने वाले आवेदन पत्र में किया जाना चाहिये। जब जहाज पर निशुल्क मूल्य के आधार पर आदेश देने के लिये स्वीकृति दे दी जाती है तो सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं को चाहिये कि वे जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय की जहाजरानी समन्वय समिति या उनके प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं के माध्यम से माल के पोतलदान के लिये व्यवस्थाएं करें।

2(10). विदेशी संभरकों को भुगतान आयात लाइसेंस के अन्तर्गत 31 अक्तूबर, 1975 तक पूरे कर दिये जाने चाहिये। इसलिये 31-10-1975 तक पोतलदान और भुगतानों को पूरा करने के सुनिश्चिय के लिये क्रय आदेशों/संविदाओं में एक उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये। किसी मामले में यह प्रत्याशा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक नहीं किया जा सकता तो अवधि वृद्धि का प्राप्त औचित्य देते हुए अर्थकार्य विभाग (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली) को 31 अगस्त, 1975 तक अवश्य आवेदन कर देना चाहिये। इस प्रकार के आवेदनों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा।

खंड 3. विदेशी संभरक को भुगतान "विशिष्ट" साख पत्र किया विधि

3(1). पक्के आदेश देने के 15 दिनों के भीतर (जैसा कि उपर्युक्त पारा 1(7) में बताया गया है) लाइसेंसधारी को चाहिये कि वह परिशिष्ट 1 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकारपत्र जारी करने के लिये सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रण, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को आवेदन करे। आवेदनपत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित नामित बैंक में से चुने जाने वाले उस बैंक का नाम दिया जाना चाहिये जिसके माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की जानी आवश्यक है:

(1) दि बेयरिस्चे वेयरिन्स बैंक, मुनिख

(2) दि कामर्ज बैंक ए० जी० फ्रैन्कफर्ट

(3) दि डयुटस्चे बैंक ए० जी० पोस्टफेख, 101440 डी-2000 हैम्बर्ग

(4) दि डेस्डनर बैंक, ए० जी० गेलुसनलगे 7-8, 9, फ्रकफर्ट मेंन-1

(5) दि वलिनेर हेंडल्स गसलचेफ्ट, फ्रकफर्टर बक फ्रैन्कफर्ट- मैंन

3(2). निजी क्षेत्र संस्थानों के मामले में उपर्युक्त पारा 3(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र के साथ, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प सहायता द्वारा विधिवत न्यायनिर्णित, भारत में विदेशी मुद्रा विनियम में प्राधिकृत अनुसूचित बैंक से एक बैंक गारन्टी (अनुबन्ध 2 में निर्धारित प्रपत्र में) भेजी जानी चाहिये।

3(3). सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों द्वारा किसी प्रकार की बैंक गारन्टी की आवश्यकता नहीं है।

3(4). पक्के आदेशों (को जारी करने की तिथि से 15) दिनों के भीतर प्राधिकारपत्र के लिये आवेदन न करना आयात नियन्त्रण विनियमों का उल्लंघन करना समझा जा सकता है।

(5). **बैंक गारन्टी-जिस धनराशी के लिए निश्चायित की जानी चाहिए**.—जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक गारन्टी विदेशीमुद्रा में उस धनराशी के समतुल्य रूपए को दर्शाते हुए होनी चाहिए जिसके लिए प्राधिकारी पत्र की मांग की गई है और इसमें अनुबन्ध-2 में यथा उल्लिखित ब्याज और अन्य प्रभार भी जोड़े हुए होने चाहिए। परिवर्तन की प्रचलित दर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 78-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पारा 2 के अनुसार राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित विनियम दर के हिसाब से होगी। यह दर केवल भेजे जाने वाली गारन्टी के मूल्य का निश्चय करने के प्रयोजन के लिए है। लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों की विदेशी मुद्रा कीमत के बदले सरकार के खाते में रूपया निक्षेप करने के प्रयोजन हेतु समतुल्य रुपए की गणना आगामी सूचनाओं के जारी होने तक सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 28-1-1972

तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 108-आईटीसी (पीएन) / 72, दिनांक 21-7-1972 के अनुसार विदेशी संभरक के लिए जर्मन बैंक द्वारा भुगतानों की व्यवस्था करने में खर्च डीएम धनराशि के लिए मिली जुली दर के आधार पर करनी पड़ेगी अर्थात डीएम में यदि समुद्र पार संभरक लैंड बर्लिन सहित पश्चिम जर्मनी में स्थित है या किसी अन्य देश जिसमें समुद्र पार संभरक स्थित है, उसकी मुद्रा में भुगतानों के लिए खर्च डीएम में ।

3(6). जब उपर्युक्त पारा 3 (1) में निर्धारित प्राधिकारपत्र के लिए आवेदनपत्र (जहां आवश्यक हो बैंक गारन्टी द्वारा समर्थित) सही पाया जाता है तो नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत में आयातक के बैंक द्वारा खोले जाने वाले साखपत्र के आधार पर समुद्र पार संभरकों की विशिष्ट धनराशि तक भुगतान को प्राधिकृत करते हुए सम्बद्ध जर्मन बैंक (अनुबन्ध-4 में यथा उल्लिखित) के लिए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा । ऐसे प्राधिकरण की एक प्रति भारतीय लाइसेंसधारी को भेजा जाएगी । मल प्राधिकार पत्र उसकी एक प्रति के साथ साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बन्ध भारतीय बैंक को भेजा जाएगा और उसे सम्बद्ध जर्मन बैंक को उसके द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ मूल प्राधिकार पत्र को भेजने के लिए कहा जाएगा । (इस प्रकार का अनुदेश अनुबन्ध-3 के रूप में यथा संलग्न प्रपत्र में दिया जाएगा) । भारत में किसी भी बैंक को साखपत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंसधारी को सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जब तक कि ऐसे बैंक द्वारा सीधे ही सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राधिकारपत्र प्राप्त नहीं हो जाता है ।

3(7). **जर्मन बैंक के लिए विशेष साख पत्र,** नियंत्रक सहायता लेखा एवं परीक्षा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए **प्राधिकार** के जारी होने की **तारीख के तीस दिनों के भीतर खोला जाना चाहिए**

3(8). विदेशी संभरकों के लिए भुगतान सम्बद्ध दस्तावेजों एवं विवरणों को इकट्ठा करने के बाद जर्मन बैंक द्वारा किया जाएगा । यहां तक कि जहां विदेशी संभरक जर्मनी संघीय गणराज्य के भिन्न देश में स्थित है फिर भी दस्तावेजों का भुगतान सम्बद्ध बैंक द्वारा किया जाएगा । सम्बद्ध जर्मन बैंक पश्चिम जर्मन प्राधिकारियों से डी एम धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा । जर्मनी संघीय गणराज्य से भिन्न देशों द्वारा संभरण के मामले में जर्मन बैंक पश्चिम प्राधिकारियों से उसके द्वारा खर्च डीएम धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा और यह प्रतिपूर्ति समुद्रपार संभरक को उस देश की मुद्रा में भुगतान करने के लिए होगी जिसमें वे स्थित है ।

3(9). जर्मन बैंकों द्वारा जर्मनी संघीय गणराज्य में भुगतान के लिए और साथ ही साथ तृतीय देश में भुगतान की व्यवस्था दोनों के लिए होने वाले आनुषंगिक बैंक प्रभार, भारत में सम्बद्ध बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से जर्मन बैंक को प्रेषित किए जाएंगे ।

खंड 4 : सरकार के लेखे में रुपया निक्षेप के लिए दायित्व:

4(1). लैंड बर्लिन सहित पश्चिम जर्मनी से और अन्य देशों दोनों के मामले में मूल लदान दस्तावेज निरपवाद रूप से सम्बद्ध जर्मन बैंक द्वारा भारत में सम्बद्ध बैंक को भेजे जाने चाहिए जिसे चाहिए कि इन दस्तावेजों की प्राप्ती के 10 दिनों के भीतर यह सुनिश्चय कर लेने के बाद लाइसेंसधारी को दस्तावेजों के इस परक्राम्य सेट को रिहा करे कि डी एम धनराशि के समतुल्य पाए या सम्बद्ध जर्मन बैंक द्वारा तृतीय देश के संभरक के लिए भुगतान की व्यवस्था में खर्च की गई डीएम धनराशि और इसके साथ

जर्मन संभरक को भुगतान की तारीख से सरकार के लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज प्रभार जर्मन संभरक को अदा कर दिया गया है । विदेशी संभरक के लिए विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतानों के समतुल्य रुपए के परिकलन के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर, सार्वजनिक सूचना संख्या : 108-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 21-7-1972 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या : 15-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 28-1-1972 में यथा निर्धारित या सरकार द्वारा सी० सी० आई० एंड ई० को सार्वजनिक सूचना द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाने वाली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से अधिसूचित की जाने वाली मुद्रा विनियम की मिली-जुली दर होगी । इस बात का सुनिश्चित करने की सम्बन्धित भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि आयातकों को आयात दस्तावेज देने से पूर्व देय धनराशियां सही रूप से सरकार के लेखे में जमा करा ली जाती है । लाइसेंसधारी को भी इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व देय धनराशियां सही रूप से सरकार के लेखे में जमा करादी जाती हैं ।

4(2). उपर्युक्त पारा 4(1) में उल्लिखित जमा को नकद में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा किया जाए या जहां यह सम्भव न हो धनराशि को सार्वजनिक सूचना संख्या : 233-आई०टी० सी० (पीएन)/68, दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31 मई, 1974 में अपेक्षित अनुसार सरकारी लेखा क्रेडिट के लिए दर्शनी हुंडी के माध्यम से जोकि स्टेट बैंक आफ इन्डिया की किसी भी शाखा या नियंत्रता से (आदेशक) प्राप्त की जा सकती है स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में अभिकर्ता के नाम में निकालने के लिए जमा किया जाए । लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत रूपया जमा किया जाना है वह इस प्रकार है "के-डिपोजिट्स एंड एडवान्सेज (बी) डिपोजिट्स नाट बीयरिंग इन्ट्रेस्ट-943-सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एक्सेट्रा फ्राम एग्राड अन्डर डीएम 100 मिलियन वेस्ट जर्मन कमोडिटीज क्रेडिट फार 1974-75 (एएल-965) ।"

4 (3). राजकोष चालान में निम्नलिखित ब्यौरे अपरिवर्तनीय रुप से भेजे जाने चाहिए :-

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक

(ख) परिवर्तन को दर से जमा किए गए के साथ जो रुपए जमा करने है, उनके संबंध में विदेशी मुद्रा की धनराशि

(ग) विदेशी संभरकों को भुगतान की तारीख

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसमें यह परिकलित किया गया है

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि

(ब्याज का परिकलन विदेशी संभरकों को किए गए भुगतान की तारीख से सरकार के लेखे में समतुल्य रुपए जमा करने की तारीख तक किया जाना है)

4(4). रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी, दिल्ली 6 से प्राप्त चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी, दिल्ली- 6 को प्रस्तुत की गई दर्शनी के सम्बन्ध में सूचना सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को उस बैंक द्वारा भेज दी जानी चाहिए, जिसने बैंक गारंटी जारी की है । इसके साथ एक अग्रेषण पत्र भी भेजना चाहिए जिसमें संबंधित जर्मन बैंक से प्राप्त परामर्श जोट का विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ हो ।

4(5). आयातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे आवश्यक रुपये केवल प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही जमा करें और सार्वजनिक सूचना संख्या : 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार अपेक्षित उनके द्वारा पृष्ठांकित किए गए लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भी प्राप्त करले । उन्हें रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा निर्धारित आवश्यक 'एस' प्रपत्रों को भी पूरा करना चाहिए ।

4(6). लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों को पूरा करने के बाद और आयातकों/बैंकरों ने सभी बाकी धनराशि सरकार के लेखे में जमा करदी हो तो प्राप्त किए गए आयातों तथा जमा किए गए रुपए के ब्यौर को सहायता लेखा तथा परीक्षा लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली–1 को अनुबन्ध–5 में निर्धारित प्रपत्र में भेजना चाहिए जिससे कि जहां आवश्यक हो, आयातकों द्वारा भेजी गई बैंक गारन्टी को रिहाई के लिए सत्यापन करने और व्यवस्था करने में वित्त मंत्रालय समर्थ हो सके ।

खंड 5 : विविध व्यवस्थाएं

5(1). **विदेश संभरकों से साख सुविधाएं**:–सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक (सी एएए) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की पूर्व अनुमति के साथ विदेशी संभरकों द्वारा दी गई साख सुविधाएं आयातक उपलब्ध कर सकते हैं, बशर्ते कि :–

(क) विदेशी संभरक अपनी खुद की जोखिम पर बिना किसी प्रकार के पूर्व साख पत्र की स्थापना पर जोर दिए ही माल का जहाज लदान करने का इच्छुक है ।

(ख) **जहाज लदान की तारीख से 90 दिनों के परे साख सुविधा नहीं बढ़ाई जाती है, और बढ़ाए गए क्रेडिट के लिए आयातकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का ब्याज प्रभार देय नहीं है, और**

(ग) **सभी प्रकार के भुगतान 30 अक्तूबर, 1974 तक पूरे कर दिए जाते हैं**

(घ) आयातक को चाहिए कि वह सी० ए० ए० ए० के लिए आवेदनपत्र में निम्न-लिखित ब्यौरों का साफ साफ संकेत करे :—

(1) आयात लाइसेंस का मूल्य,

(2) यदि कोई प्राधिकारपत्र पहले से ही प्राप्त कर लिया है तो इसका मूल्य,

(3) प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे खोले गए साख पत्रों का मूल्य,

(4) मांगी गई साख सुविधा का मूल्य,

(5) इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र कि उस लाइसेंस से मांगी गई साख सुविधा का मूल्य उपलब्ध है, जिसके मद्दे प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए गए हैं जिसके मद्दे प्राधिकार पत्र जारी कर दिए गए हैं और पर्याप्त मूल्य उपलब्ध है जिसके लिए आगामी किसी प्रकार के साखपत्र नहीं खोले जायेंगे या पोत लदान नहीं किए जायेंगे ।

वे आयातक जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा कर देते हैं उन्हें अनुरोध करने पर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि की सूचना दे दी जायगी ।

5(2). **विशेष शर्तों के लिए अधिसूचित किए जाने वाले संभरक** .—लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस में किसी भी विशेष व्यवस्था के बारे में विदेशी संभरक को अवगत कराए जो संभरकों को सौदा करने में प्रभाव डाल सके ।

5(3). **विवाद**.—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

5(4). **अनुदेशों का अनुपालन करना**.—लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा के एफ डब्ल्यू प्राधिकारियों के साथ ही डी एम 100 मिलियन पण्यवस्तु क्रेडिट करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों आदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

5(5). **उल्लंघन या अतिक्रमण**.—उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जायगी ।

5(6). **अनुबन्धों की सूची** :

अनुबन्ध—1 : साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप,

अनुबन्ध—2 : बैंक गारन्टी का प्रपत्र,

अनुबन्ध—3 : प्राधिकार-पत्र को प्रेषित करने वाले अनुदेश-पत्र का प्रपत्र,

अनुबन्ध—4 : प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र,

अनुबन्ध—5 : माया निक्षेप करने की रिपोर्ट और बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र ।

अनुबंध 1

प्राधिकार पत्र को जारी करने के लिए आवेदन

सेवा में,

नियंत्रक,
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली—110001

विषय .—1974-75 (डी एम 100 मिलियन क्रेडिट) के लिए पश्चिम जर्मन पम्प क्रेडिट के अन्तर्गत———————————— से————————————— का आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित पश्चिम जर्मन पम्प क्रेडिट के अन्तर्गत————————————से ———————————— का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरा आपको देते हैं ताकि ————————————के माध्यम से बेयरिस्च बेरेसबैंक, मुनिज, या कामर्ज

बैंक, ए० जी० फ्रेंकफर्ट या ड्यूल्के बैंक, ए० जी० हम्बर्ग या डेस्डेनर बैंक ए० जी०, फ्रेंकफर्ट बर्लिनर हेन्डल्स, फ्रेंकफर्टर बैंक, फ्रेंकफर्ट मेन में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार जारी कर दें ।

(क) आयातक का नाम और पता ।

(ख) लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य (आयात लाइसेंस की फोटो प्रति संलग्न की जाए)

(ग) भुगतान नियमों अर्थात (लागत-बीमा-भाड़ा या लागत भाड़ा) (किसी भी मामले में केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए) को दर्शाते हुए संभरकों द्वारा दिए गए और स्वीकार किए गए आदेशों की तिथि तथा विदेशी मुद्रा में मूल्य ।

(घ) इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र (संभरकों के पुष्टिकरण आदेशों के साथ) कि आयात लाइसेंस के जारी होने के 4 माह की अवधि के भीतर पक्के आदेश दे दिए गए हैं । प्रत्येक संभरक के पक्के दिए गए आदेश की तिथि और उनके अनुमोदन को प्रमाण पत्र में अलग अलग दर्शाया जाना चाहिए । यदि आदेश निर्धारित 4 माह की अवधि के बाद दिए गए हैं तो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का पत्र/वित्त मंत्रालय का वह पत्र जिसमें पक्के आदेशों के देने के लिए समय वृद्धि के लिए प्राधिकार दिया गया है, उसे संलग्न करना चाहिए ।

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।

(च) विदेशी मुद्रा जिसके लिए प्राधिकार पत्र की मांग की गई है ।

(छ) संभरकों का नाम तथा पता और ऐसे संभरकों के लिए भुगतान की जाने वाली विदेशी मुद्रा (वह देश जिसमें संभरक स्थित है उसकी मुद्रा में और उसके बराबर डी एम धनराशि) बतायी जानी है ।

(ज) उस मामले में जब संभरक पश्चिम जर्मनी से भिन्न देश में स्थित है, तो संभरक के उस बैंक का नाम जिसको जर्मनी के नामित बैंक द्वारा धनराशि प्रेषित की जानी है, उसको संकेतित करना चाहिए ।

(झ) माल छुड़ाने की अनुमानित तिथि ।

() संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ने वाली संभावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची ।

साख-पत्र जिसके द्वारा खोला जाएगा———————————————————

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय)

———————————————————————————————

(निर्धारित बैंक का नाम और पता)

और ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा———————————————रुपये के लिए दी गई बैंक

गारन्टी संख्या———————— दिनांक———————— और जो जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा विधिवत न्याय निर्णित की गई है, संलग्न है ।

भवदीय
(लाइसेंसधारी)

प्रति———————————————————— बैंक लि० को सूचना के लिए प्रेषित ।

अनुबन्ध 2

गारंटी-बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले (इसके बाद इसे 'सरकार' कहा गया) पश्चिम जर्मन पण्यवस्तु क्रेडिट, 1974–75 की शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक.....
को जारी किया गया लाइसेंस संख्या.....
का पालन करते हुए.....के द्वारा (बाद में इसे 'आयातक' कहा गया).....
के आयात के लिए भुगतान (विदेशी मुद्रा में उपर्युक्त राशि का उल्लेख करें) के लिए राजी होते हुए आयातक के अनुरोध पर हम.....बैंक इसके.....
.....
(आयातक द्वारा मनोनीत जर्मन बैंक का नाम)

द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन चालू परिवर्तित दर पर जो इस संबंध में समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों के अनुसार परिकलित किया जाता है, विदेशी संभरकों को लिए गए भुगतान की तारीख से सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए समतुल्य रुपये के भुगतान की तारीख तक उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की वापसी की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उपर्युक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्षों के विपरीत संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं । जर्मन बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जबकि ऊपर के अपेक्षित जमा रुपये पूरा कर लिए गए हैं ।

2. हम दि बक, सरकार जहां और जैसा भी, समय समय पर निदेश दे, आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य या उस पर कोई भी अंश जो आयात द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान करने की तारीख से इस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि,.....रुपये

से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भुगतान करने में देर होगी, तो उसको भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षति पूर्ति करेंगे । आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध में जो राशि हमारे.....
बैंक द्वारा दी जानी है, उस संबंध में सरकार बैंक, द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर.....
.....बैंक, अन्तिम और अनिवार्य होगा ।

3. हम.....बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के अन्तर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसके मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारंटी बांड की धन-राशि को समायोजित कर लिया जाएगा ।

4. हम.....बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारंटी में जो कुछ दी गई है, वे उल्लिखित करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होंगी और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया पूर्ण रूपेण चुकता न कर दिया गया हो और इसकी सारी मांगे पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हों ।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दि.....
.....बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक और दि बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित करे । उपर्युक्त मामले के संदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थगन जो दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जमानतों से संबंधित हो,.....बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. अन्त में हम.....बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना लागू काल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे ।

7. इस गारंटी के अन्तर्गत..... रुपये (इसमें ब्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल हैं, इसे गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और यह दिन मास 197...
तक, जब तक इसकी तारीख से छः मास के भीतर लिखत रूप में इस गारंटी के अन्तर्गत मांगे पूरी नहीं करली जाती, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक इसके बाद तक दूसरे

छः मास के भीतर उनकी मांगों के लिए मुकद्दमा या कार्यवाई लागू न हो जाए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकारों द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा और हम लोग इसके अन्दर निहित सारी जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे ।

.....दिन का दिनांक.....

वास्ते..... बक लि०

श्री.....के द्वारा (नाम और ओहदा)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत ।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

यह तारीख और एक मास के साथ प्राधिकार पत्र को वैध रखने तक की तारीख से लागू होगी (लाइसेंस की शर्तों की धारा 15 भी देखिए)

टिप्पणी.—स्टाम्प पेपर पर मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, इसके मूल्य को भारती स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा न्याय निर्णित किया जाना है ।

अनुबन्ध 3

सेवा में,

विषय.—जर्मन पण्य क्रेडिट के अन्तर्गत आयात साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र को जारी किया जाना । आयात लाइसेंस संख्या..... दिनांक.....

प्रिय महोदय,

पत्र संख्या..... दिनांक के द्वारा के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने 1974–75 के लिए जर्मन पण्य क्रेडिट के अन्तर्गत आपके बैंक द्वारा साख-पत्र खोलने के लिए अनुमति मांगी है, विदेशी संभरक को तक में भुगतान की व्यवस्था के लिये उनको प्राधिकृत करते हुये, अर्थ कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का प्राधिकार पत्र संख्या———— ————————दिनांक————————(एक अतिरिक्त प्रति के साथ) जो ——— ————————को जारी किया गया था, संलग्न कर रहा हूं । इस प्राधिकार पत्र को आपके द्वारा खोले गये साख-पत्र के साथ आपके द्वारा————————————को भेज दिया जाना चाहिए ।

2. इस विभाग को अवगत कराते हुये, इस पत्र के जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर आपको साख पत्र खोलने का अधिकार दिया जाता है, जिसकी धनराशि डी० एम० में———————— से अधिक नहीं होनी चाहिए । विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग 7 की कंडिका 10 के अनुसार आपको यह सुनिश्चित कर देना अपेक्षित है कि पोतलदान की अंतिम तारीख निश्चित होने के बाद साख पत्र की समाप्ति की तारीख 45 दिन से पहले है जैसा कि संबंधित आयात लाइसेंस में बताया गया है अथवा

प्राधिकार पत्र में जो तारीख दी गई उनमें से चाहे जो पहले हो। साख-पत्र खोलने से पूर्व आयातक इस बात के लिये कृपया सुनिश्चित हो जाये कि उनके पास जो लाइसेंस है, वह वैध आयात लाइसेंस है।

3. आपसे अनुरोध है कि————————————————से प्राप्त किये गये प्रलेखों के 10 दिनों के भीतर आपके द्वारा भेजी गई गारन्टी की शर्तों के अनुसार जर्मनी संघीय गणराज्य में संभरकों के लिये डी० एम० में या अन्य देशों में विदेशी संभरक के लिये अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतानों को प्रभावी बनाने के लिये (जर्मन बैंक का नाम) द्वारा खर्च की गई ड्यूस्ची मार्क में धनराशि के सममूल्य रुपये जमा करने की व्यवस्था करें (समतुल्य रुपये की जो धनराशि विदेशी संभरक को दी जायेगी, अगला आदेश जारी होने तक, उस अदला-बदली की मिली-जुली दर से परिगणित किया जाएगा) जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं० 15—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28—1—72 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 7—12—72 में निर्देशित है। **जो समय समय पर सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा अधिसूचित की जाएगी।** इसके अतिरिक्त, संभरकों को किये गये भुगतान की तिथि से तथा जिस तिथि को समतुल्य रुपये जमा किये गये हैं, दोनों के बीच की अवधि का 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी सरकार के लेखा में जमा करना है। आयातक को आयात प्रलेखों को दिये जाने से पूर्व इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

4. ये धन-राशि या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली—6 में जमा की जानी चाहिए या जहां यह संभव न हो तो धनराशि को सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 31 मार्च, 1974 में अपेक्षित अनुसार सरकारी लेखा क्रेडिट के लिये दर्शनी हुंडी के माध्यम से जो कि स्टेट बैंक आफ इंडिया, की किसी भी शाखा या नियंत्रित से (आदेशक) प्राप्त की जा सकती है स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में अभिकर्ता के नाम में निकालने के लिये जमा किया जाये। लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत रुपया जमा किया जाना है वह इस प्रकार है 'के—डिपोजिटस एण्ड एडवान्सेज (बी) डिपोजिटस नाट बेयरिंग इन्ट्रेस्ट—843—मिसिल डिपोजिटस—डिपोजिटस फार परचेसिस एटसट्रा फ्राम एवार्ड अन्डर डी० एम० 100 मिलियन वेस्ट जर्मन कमोडिटीज क्रेडिट फार 1974-75 (ए एल—965)।

5. मनोनीत जमन बैंक से प्राप्त परामशन नोट का पूरा विवरण देते हुये एक अग्रेषित पत्र के साथ, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली में समतुल्य रुपया नकद में जमा करने की स्थिति में चालान की एक मूल प्रति आपके द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए:—

नियंत्रक, सहायता लेखा,
वित मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

डिमांड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रुपया जमा करने की स्थिति में जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में बताया गया है उसकी सूचना ऊपर दिये गये पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी स्थिति में, ब्याज की जो राशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिये ब्याज परिगणित किया गया है, उसके साथ जमा किये गये समतुल्य रुपये का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए।

भवदीय,
लेखा अधिकारी।

प्रति प्रेषित सर्वश्री————————————————————
प्राधिकार पत्र की संख्या————————————————————की, एक प्रति के साथ सूचनार्थ उनके ऊपर दिये गये पत्र के संदर्भ में, यदि माल भेजने में विदेशी संभरकों को कोई कठिनाई अनुभव हो तो सर्वश्री शेन्कर एंड कम्पनी, हैम्बर्ग, पश्चिम जर्मनी की सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं।

लेखा अधिकारी।

अनुबंध 4

प्राधिकार-पत्र की संख्या----------

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(अर्थ कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक----------197--

सेवा में,

(जर्मन बैंक का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

विषय.--1974-75 (ए एल 965) के लिये पण्य क्रेडिट के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य से आपके साथ क्रेडिट के अन्दर जमा लेखा पत्र के माध्यम से विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिये कार्यविधि ।

उपर्युक्त कार्यविधि के नियमों और शर्तों के अनुसार पत्र संख्या----------दिनांक----------जो मुख्य लेखा अधिकारी, भारत का उच्चायोग, लंदन को सम्बोधित था, इससे सहमत होते हुये हम एतद्द्वारा.....को भुगतान करने के लिये
(संभरक का नाम)
आवश्यक समझी जाने वाली डी० एम० में ऐसी राशि को खर्च करने के लिये (केवल तीसरे देश के संभरकों के लिये लागू है) या----------को (केवल पश्चिम जर्मन संभरक के लिये लागू है)----------डी० एम० राशि के भुगतान के लिये इसके द्वारा----------के द्वारा----------के आयात को समाविष्ट करने के लिये की गई संविदा के मद्दे----------के द्वारा खोले गये साख पत्र के अन्तर्गत आपको प्राधिकृत करते हैं ।

2. प्रत्येक भुगतान के बाद जहाजरानी और अन्य प्रकार के प्रलेख (परक्राम्य) को सीधे----------को भेजे जायें और प्रलेखों (अपरक्राम्य) के एक सेट के साथ एक भुगतान परामर्श अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजे ।

3. उपर्युक्त साख पत्र के अन्तर्गत आपका बैंक प्रभार----------के द्वारा भारत द्वारा जमा धन के आपके साथ सीधे ही तय किया जायेगा ।

यह प्राधिकार----------197 ----------तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

लेखा अधिकारी ।

अनुबंध 5

प्रपत्र

1. जिस निर्यातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारन्टी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस संख्या और दिनांक तथा मूल्य ।

3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक और धनराशि ।

4. साख पत्र खोलने के लिये वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्राधिकार-पत्र के ब्यौरे:—

(क) प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक,

(ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (विदेशी मुद्रा में) ।

5. दिये गये आयातों और जमा किये गये रुपयों के ब्यौरे:—

(क) संभरक (कों) का नाम,

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक (कों) को चुकाई गई वास्तविक धनराशि (विदेशी मुद्रा में),

(ग) मनोनीत जर्मन बैंक द्वारा संभरक को भुगतान करने की तारीख ।

(घ) जमा रुपये की धनराशि——

(1) संभरक को चुकायी गई विदेशी मुद्रा की धनराशि का समतुल्य रुपया यूनिट विदेशी मुद्रा-रु० की दर से ।

(2) चुकाया गया ब्याज ।

(3) जिस अवधि तक ब्याज परिकलित किया गया है——————से ——————————————तक ।

(4) कुल किया गया जमा ।

(5) जमा करने का दिनांक और स्थान ।

(6) राजकोष चालान की संख्या और दिनांक संलग्न किया जाना है । यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो जिस पत्र संख्या और दिनांक के साथ यह भेजा गया था उसके संदर्भ को उद्धृत किया जाये ।

(7) उपर्युक्त (घ) (4) में उल्लिखित रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसके ब्यौरे का उल्लेख किया जाए ।

6. प्रत्येक साख पत्र के मद्दे उपयोग की गई धनराशि और बाकी रही धनराशि जिसका उपयोग नहीं किया गया (विदेशी मुद्रा में) ।

7. इस संबंध में एक प्रमाण पत्र कि उपर्युक्त में संकेतित शेष का उपयोग नहीं किया गया है और उसका पोतलदान नहीं किया गया है, तथा उसको प्राप्त हुआ समझा जाय ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974